न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किल कोर्ट रीवा म0प्र0

श्री रामनाथ पटेल एड.
द्वारा पेश 28.9.15

R. 5081-

1–श्रीमती शांती बेबा हरिदर्शन भुजवा

2– रामसिया तनय वृजभूषण भुजवा

3–रूद्रमणि तनय वृजभूषण भुजवा

4–कौशल तनय वृजभूषण भुजवा

सभी निवासी ग्राम लेडुआ थाना नईगढी तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

——निगरानीकर्तागण

431
28.9.15

बनाम

1–शिवबहोर तनय शिवमंगल भुजवा

2– रामविशाल तनय शिवमंगल भुजवा

3– शिवधारी तय गट्टा भुजवा

सभी निवासी ग्राम लेडुआ थाना नईगढी तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

——— **गैर निग0कर्तागण**

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्री मान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्र0 क0 254 / अपील / 99–2000 शिवबहोर एवं अन्य बनाम वृजभूषण एवं अन्य आदेश दिनांक 08 / 09 / 15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959ई0

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि भूमि खसरा कमांक 252 / 1 रकवा 1.36 ए0 , 540 रकवा 0.63ए0 551 रकवा 0.55 ए0, 554 रकवा 0.36 ए0 ,283 रकवा 1.04 ए0 स्थित ग्राम लेडुआ तह0 तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 निगरानीकर्तागण के बाबा बिशेषर एवं गैर निगरानी कर्ता क03 के पिता गट्टा की स्वअर्जित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5081-II/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
9-6-2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया। 2/ प्रकरण में ग्राम लेडुआ तहसील मऊगंज स्थित भूमि खसरां कमांक 252/1 रकवा 1.36 ए0, 540 रकवा 0.63 ए0, 554 रकवा 0.36 ए0, 283 रकवा 1.04ए0 भूमि के वर्ष 1993–94 के कब्जे के आधार पर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 ने कब्जा इन्द्राज हेतु नायब तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर नायब तहसीलदार ने 27–3–99 के द्वारा अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का कब्जा इन्द्राज कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी का निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि आवेदक को बिना पक्षकार एवं सुनवाई का अवसर दिये तथा प्रकिया का पालन किये कब्जे की प्रविष्टि नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसको सुनवायी का अवसर दिये बिना की गई कब्जे की प्रविष्टी अधिकारिता रहित हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मात्र पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर विचारण न्यायालय ने कब्जा प्रविष्टि के आदेश दिय हैं। संहिता की धारा 115/116 में अभिलेख में सुधार किया गया जा सकता न कि कब्जे की नई प्रविष्टि की जा सकती है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27–3–99 निरस्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पश्चात वर्ती एवं पूर्ववर्ती कब्जे की प्रविष्टी को दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है वर्तमान खसरा वर्ष 1993–94 में एक वर्ष के कब्जे की प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिया है जिसे अपर आयुक्त ने स्थिर रख कर अनुविभागीय अधिकारी के	

आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 में उपबंधित नियमों की अनदेखी कर विचारण न्यायालय द्वारा किये गये कब्जा प्रविष्टी के आदेश को उचित मानने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 8–9–15 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज का आदेश दिनांक 17–1–2000 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकाड हो।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य